

सर्व  
सं  
सं  
सं


# FORM No. III

APP-A  
Crime-1

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_  
 किसम मुकदमा \_\_\_\_\_ नं० \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31 <sup>05</sup> / <sub>24</sub>	<p>अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक ...<sup>06</sup>...को पेश हो  <sup>21</sup>/<sub>24</sub></p> 	
21 <sup>06</sup> / <sub>24</sub>	<p>भाज यह पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील अनु.। प्रायास के बार-बार आवाज लगावने के बावजूद सोप 5.00 बजे तक वादी एवं वादी वकील के ले कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रलयास करण हाजरी एवं अफ पेशी के खरिफ हो चुका है। प्रलयास का निस्तारण हो जाने से ज.प्र 212 RT Act का कोई औचित्य नहीं रहता है।</p> <p>अतः ज. प्र 212 RT Act की कार्यवाही टॉप की जाती है। पत्रावली जमानत हुआ होकर रफिस्ट ले कर की जावे। मेलन प्रलयास हो</p> 